न्यायालयः अनुविभागीय अधिकारी (रा0) प्रतापपुर,जिला–सूरजपुर (छ0ग0)

प्ररूप –ड.

(नियम 7(2)देखिये)

//अनुज्ञा//

क्रमांक 1550 /वाचक/2025 प्रतापपुर,दिनांक 16 /05/2025

प्रति,

श्री अनील कुशवाहा पिता रामप्रताप
निवासी ग्राम दुलदुली
तहसील प्रतापपुर जिला सूरजपुर (छ0ग0)

विषयः– प्राकृतिक रूप से उगे वृक्ष की कटाई हेतु अनुमति।

—0—

विषयान्तर्गत आपके आवेदन में राजस्व विभाग एवं वनविभाग के संयुक्त निरीक्षण हेतु ज्ञापन दिनांक 19.03.2025 को जारी किया गया । संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 16.04.2025 को प्राप्त हुआ। जांच प्रतिवेदन अनुसार आवेदित निजी शामिल खाते की भूमि खसरा नंबर 160 रकबा 1.7400 हे. भूमि पर 06 नग साल वृक्ष है । सहखातेदार विरेन्द्र कुशवाहा आ0 रामप्रसाद का कथन अंकित किया गया , उन्हें उक्त वृक्षों को काटे जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। उपरोक्त वृक्ष किसी रोड, धार्मिक स्थल व सार्वजनिक स्थल के किनारे पर नहीं है और न ही नदी, नाला के किनारे पर स्थित है । उक्त वृक्षों को काटने से भू–क्षरण होने की संभावना नहीं है और न ही पर्यावरण को क्षति होगी । आवेदन व जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्यो का सत्यापन किया गया । स्थल पर कटाई हेतु आवेदित वृक्षों की स्थिति निम्नानुसार है:–

क्रमांक	प्रजाति	छाती की गोलाई
1	साल	500 से.मी.
2	साल	350 से.मी.
3	साल	350 से.मी.
4	साल	350 से.मी.
5	साल	400 से.मी.
6	साल	300 से.मी.

अभिलेख एवं स्थल निरीक्षण के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचती हूं कि खसरा नंबर 160 रकबा 1.7400 हे. भूमि ग्राम दुलदुली प0ह0नं0. 02 तहसील प्रतापपुर स्थित जिनकी प्रजाति साल वृक्ष सरल कमांक 1 से 06 में वृक्षों को काटे जाने पर संहिता के

किन्ही उपबधों का उल्लधंन नहीं हो रहा है । अतः उपरोक्त 06 नग साल का वृक्ष कटाई पर अनुमति दी जाती है।

छ0ग0 शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर अटल नगर के अधिसूचना दिनांक 11 फरवरी 2022 के नियम 7(4) के अनुसार छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम , 1969(क.9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम , 1927 (1927 का 16) के अन्तर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम , 2001 के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए भूमि स्वामी वृक्षों की कटाई कर सकेगा । सक्षम अनुज्ञा की प्राप्ति के 30 कार्य दिवस के भीतर वन मण्डलाधिकारी वृक्षों की कटाई एवं डिपो तक अभिवहन सुनिश्चित करते हुए एवं निर्धारित दर पर लकड़ी का मूल्य परिगणित करते हुए कुल मूल्य का 90 प्रतिशत राशि भूमिस्वामी के बैंक खाते में निक्षेपित कराएगा एवं शेष 10 प्रतिशत राशि वन विभाग के निर्धारित खाते मे जमा की जाएगी ।

जमा राशि से प्रत्येक काटे वृक्ष के 10 गुना की संख्या में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण एवं उसका अनुरक्षा किया जाएगा । वन विभाग द्वारा न्यूनतम 6 फीट के वृक्ष रोपित किए जाएंगे एवं रोपण की जानकारी प्रत्येक वर्ष अनुविभागीय अधिकारी (रा0) के माध्यम से कलेक्टर को दी जावेगी ।

छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम , 1969(क.9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम , 1927 (1927 का 16) के अन्तर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन (वन उपज) नियम , 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी ।

यह अनुमति आवेदन दिनांक से एक कलेण्डर वर्ष तक मान्य रहेगी ।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
प्रतापपुर,सूरजपुर (छ.ग.)

पृ0क्रमांक 1550 /वाचक / 2025 प्रतापपुर,दिनांक 16 / 05 / 2025

प्रतिलिपिः–

1. कलेक्टर महोदय सूरजपुर को सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित ।
2. वनमण्डलाधिकारी , वनमण्डल सूरजपुर को सूचनार्थ ।
3. अनुविभागीय अधिकारी वन प्रतापपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. तहसीलदार प्रतापपुर को सूचनार्थ एवं वृक्ष कटाई पश्चात् राजस्व अभिलेख अद्यतन करने हेतु ।
5. वन परिक्षेत्राधिकारी वन विभाग प्रतापपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
प्रतापपुर,सूरजपुर (छ.ग.)